5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(180)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. : ....

चाँद सिंह आत्मज राधेकिशन, वयस्क
निवासी – ग्राम आमरौद,
तहसील व ज़िला सीहोर .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. **भारत सिंह आत्मज चैन सिंह, वयस्क**
निवासी – ग्राम आमरौद,
तहसील व ज़िला सीहोर

02. **मध्यप्रदेश शासन**
द्वारा कलेक्टर, ज़िला सीहोर .... **प्रतिप्रार्थीगण**

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2016, जो प्रकरण क्र. 2713–2/2015 में पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत है :–

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क्र. 01 द्वारा न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय के प्रकरण क्र. 116/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थीं।

02. यह कि, उक्त निगरानी का निराकरण विधिवत् नहीं किया गया है और प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस को रिकार्ड पर लिये बग़ैर ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

आधार

01. यह कि, आदेश विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी का विधि प्रक्रिया और नियमों के विपरीत होने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
निरंतर ..... एडवोकेट
25, हरि निवास दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –3924–दो/16 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
27.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2713–दो/15 में पारित आदेश दिनांक 27.07.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3924–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2713–दो/15 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 27.07.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 3924–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य